

14

कर्म

अचल संपत्ति का विवरण वर्ष 2014-15

1. अधिवासी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो बिना सेवा 2. वर्तमान पंजीत पद सहायकी शिक्षक वेतनवृद्धि की तारीख 1-7-2015

क्र.	उप वि. उपासक, आरक्षण तथा नाम का नाम, जिसमें संपत्ति विद्यमान हो।	पद तथा अन्य मस्य	भूमि	**वर्तमान मूल्य	यदि सच के नाम पर न हो तो सच के नाम पर किसके नाम पर पंजीत है और उसका आधिकारिक कर्मचारी से क्या संबंध है।	उप वि. प्रकार अधि. क्रिया मस्य ***खरीद, चट्टा, काल, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा वर्तमान की तारीख और जिससे अधि. की गई हो उसका नाम तथा क्या और	संपत्ति से वारिक नाम	आयुष्क
1	2	3	4	5	6	7	8	
	श्री. शोभा	श्री. शोभा शर्मा H-11 प्रकृति नगर बाग क्षेत्र नि. म. सोसायटी	निरंक	35.00 लाख	स्वयं के नाम पर।	मस्य सरकारी कस्टोडियन से वर्ष 2003 में 1.50 कि. मी. का	श्री. शोभा शर्मा नि. म. सोसायटी श्री. शोभा शर्मा नि. म. सोसायटी श्री. शोभा शर्मा नि. म. सोसायटी	

हस्ताक्षर Shobha Sharma 20/12/2014
 नाम श्री. शोभा शर्मा
 पद बि. से. आधिकारी

श्री. शोभा शर्मा न. ही काट दीजिए।
 ए.पी. भास्कर ने जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वर्तमान विधि के संदर्भ में लक्षण मूल्य बरतनाका जाए।
 इसमें आलोकनीय पट्टे की सन्निहित है।
 मध्यप्रदेश आलोकनीय सेवा (आवक) विधायक, 1965 के नियम 14(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, एवं तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में राष्ट्रीय नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार प्रत्येक बार नियुक्ति के पश्चात वह नियुक्ति प्राप्त कर कर प्रस्तुत करे और - सभी वह अपने स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अधि. अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या अन्य पर उसके द्वारा पंजीत समस्त अचल संपत्ति के बारे में है।